करने हेतु समय चाहते हैं। अभिलेख में समय दिया जाता है। अग्रिम जवाब हेतु दिनांक 8.5.18 को पेश हो।

दि० 16.5.2018

आज यह पत्रावली राज्य सरकार के आदेशानुसार विवादग्रस्त राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण करने तथा पक्षकारों को राहत प्रदान करने की दृष्टि से न्याय हित में दिनांक 2018 के तहत राजस्व अभिलेखों में अतिक्रमण केन्द्र बराड़ में मेरे समक्ष पेश हुई। पार्थी को जारी नोटिस तामील शुदा प्राप्त होने से अग्रिम कार्यवाही विवादग्रस्त प्रकरण की सुनवाई के दौरान पार्थी व उनके वकील को केस फाईल की सूचना/नोटिस तामील के बावजूद पार्थी या उनके वकील उपस्थित नहीं हुई। अपार्थी स्टेट की ओर से श्री तहसीलदार बिसरोई ने उपस्थित होकर जवाब पेश करने हेतु समय मांगा। अपार्थी स्टेट तहसीलदार बिसरोई की उक्त प्रार्थना सुनकर उस पर गंभीरता से मनन किया। विवादग्रस्त प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से पार्थी का प्रार्थना पत्र मु०नं०136 L.R.Act संलग्न ग्राम बेरी ग्राम बराड़ ख०नं. 585, देसनकश ख०नं. 585 व 588, ग्राम बराड़ मिलान फैसलात ख०नं. 517, 588, जिलाधिकारी बिसरोई का आवंटन आदेश दि० 19.10.97 व पंचायत अनुसूचित सेवा समिति ग्राम खटाड़ कमिश्नरी दि० 11.5.93 का अवलोकन, अभिलेखों पर उक्त पर मनन किया। सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा दौराने सुनवाई मौके पर जांच करने तथा तहसीलदार बिसरोई के जवाब मुताबिक वर्तमान में मौके पर ग्राम सेवा सहकारी समिति की दुकान व आवास ख०नं. 588 में बना हुआ है जो कि रेकर्ड मुताबिक 585 ख०नं० है जो पुराने ख०नं० 575/517 से बना है। ख०नं. 588 पुराने ख०नं. 517/1/5 मी. से बना है। ग्राम सेवा सहकारी समिति को सम्पूर्ण आवास हेतु ख०नं. 585 में रकबा 0.3600 हैक्टेयर भूमि पूर्व में आवंटन की गई थी जो राजस्व रेकर्ड में यह भूमि ग्राम पंचायत आवंटन दिखाया गया है।

उपखण्ड अधिकारी

ग्राम पंचायत बराड़ा बनाम स्टेट प्रकरण सं. 193/20

सिरोही के आदेश दिनांक 8/10/2020 में पूर्व में आवंटन
भूमि का नक्शा जहां आवंटन हुआ था वा संलग्न
नहीं है जो खसरा नक्शा पुराना संलग्न नहीं
है जिससे आवंटन का स्थल वास्तव में किस
जगह है यह निर्धारण नहीं है मौके की स्थिति अनुसार
खसरा नं. 585 की भूमि पर ग्रामवासियों द्वारा पशुकोट
निर्माण कर आलडी मंदिर के रूप में उपयोग
ले रहा है पुराने नक्शे में जहां आवंटन हुआ है
कि प्रति संलग्न नहीं होने व आवंटन शून्य खसरा
पर दूसरा कब्जा वर्तमान में होने से स्वीकारयोग्य
नहीं। उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का यह
प्रार्थनापत्र under 136 L.R. Act का निरस्त किया जाकर
स्टेट व सिरोही का आवंटन रिकार्ड दुरुस्ती करने
का स्वीकारयोग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर
निस्तारण हेतु निर्णय आज 20 को अपील कोर्ट
अतिरिक्त संभाग मुख्यालय बराड़ा में आज के काम में सुनाया
जाकर पत्रावली दैनिक क्रमांक होकर नंबर से कम की।

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही